रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# 314 The Gazette of India

असाधारण

**EXTRAORDINARY** भाग III—खण्ड 4 PART III-Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] 142] No.

नई दिल्ली, सोमवार, जून 4, 2012/ज्येष्ठ 14, 1934 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 4, 2012/JYAISTHA 14, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया) ( भारतीय कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2012

सं. 710/1(एम)/2.--यतः कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उपधारा (3) के अनुसार भारत के राजपत्र, असाधारण भाग !!!. खण्ड 4 में पृष्ठ 1 से 20 पर कम्पनी सचिव विनियमावली 1982 के प्रारूप में और आगे संशोधन करने की दृष्टि से, देखिए सं. 710/आई(एम)/1, दिनांक 30 जनवरी, 2012 को ऐसे सभी लोगों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था, जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी और जिन्हें अपनी आपत्तियां और सुझाव उस तारीख से पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रेषित करने थे जिस दिन भारत के राजपत्र की अधिसूचना की औपचारिक प्रतिलिपियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थी;

और, अतः उक्त राजपत्र की प्रतियां लोगों को 31 जनवरी 2012 को लोगों को उपलब्ध करा दी थी;

और अतः परिषद ने लोगों से पूर्वोक्त अवधि के अन्दर प्राप्त उक्त प्रारूप नियमावली की आपत्तियां और सुझावों पर विचार किया;

अतः, अब इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया की परिषद् कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से कम्पनी सचिव विनियमावली 1982 में और आगे संशोधन करती है, अर्थात:-

(1) इन विनियमों का नाम कम्पनी सचिव (संशोधन) विनियमावली 2012 होगा।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन होने की तारीख से लागू हो जाएंगे। कम्पनी सविव विनियमावली 1982 में (जिन्हें इसके बाद उक्त विनियमावली के रूप में उल्लेख किया जाएगा) विनियम 11, उप–विनियम (1) के, खण्ड (घ) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"(ङ) कोई सदस्य समय-समय पर जारी गाइडलाइनों का अनुपालन नहीं करता है।"

जक्त विनियमावली में 3

> (1) जहां कहीं भी 'इण्टरमीडिएट परीक्षा'' शब्द आते हैं, उनके बाद ''या एक्जीक्यटिव कार्यक्रम परीक्षा'' शब्दों को जोड़ा जाएगा। (2) जहां कही भी 'फाइनल परीक्षा' शब्द आते हैं, उनके बाद ''या प्रोफेशनल प्रोग्राम परीक्षा'' शब्दों को जोड़ा जाएगा।

उक्त विनियामवली के विनियम 20 में उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

(2क) "कोई व्यक्ति, जो ललित कला अकादगी के अलावा अन्य किसी विधा की डिग्री परीक्षा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा उसके समकक्ष किसी मान्यता–प्राप्त परीक्षा में बैठता है या बैठने के लिए स्वयं का नामांकन करा लेता है तो उसका एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम में शिक्षण प्राप्त करने के लिए अनन्तिम रूप से नामांकन किया जा सकता है।

बशर्ते कि एवजीक्यूटिव कार्यक्रम के लिए शिक्षण प्राप्त करने के लिए अनन्तिम नामांकन की पुष्टि तभी होगी जब वह उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण संतोषजनक रूप से अनन्तिम नामांकन की तारीख से छह महीने के अन्दर सचिव को भेज दे।

बशर्ते यह भी कि यदि ऐसा व्यक्ति उक्त निधिरित अवधि के अंदर इस प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और उसके द्वारा दी गई कोई ट्यूशन फीस या अन्य कोई फीस वापस नहीं की जाएगी और उसके द्वारा प्राप्त शिक्षण का किसी प्रकार का श्रेय उसे नहीं प्राप्त होगा।".

2004 GI/2012

4.

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.

7. 8

9

10.

11.

# THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

उक्त विनियमावली के अध्याय 4 के बाद निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्

#### "अध्याय- 4 क

# कारपोरेट कम्पलाइस एक्जीक्यूटिव प्रमाण पत्र- आईसीएसआई

28ए कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाण पत्र (1) इंस्टीट्यूट का ऐसा रजिस्टर्ड छात्र, जिसने फाउण्डेशन परीक्षा और परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित निर्णय के अनुसार इण्टरमीडिएट् परीक्षा या एकजीक्युटिव कार्यक्रम के ऐसे प्रश्नपत्रों के साथ उत्तीर्ण की हो या उससे छूट मिली हो और उसने प्रशिक्षण आवश्यकताएं पूरी कर ली हों और प्रोफेशनल डेवलेपमेंट कार्यक्रमों या समय-समय पर अवधारित ऐसे अन्य कोई कार्यक्रमों में भाग लिया हो तो वह कारपोरेट कम्पलाइंस रा आर वानुस्राध अवरानार मानम्या भा राज्य-चान्य पर अपमारत रुज जन्य यगर यायक्रमा न मान ालया हा ता वह कारपारट कम्पलहिस एकजीक्यूटिव प्रमाणपत्र प्रदान के लिए आवेदन कर सकता है और सचिव द्वारा उसका आवेदन स्वीकार किए जाने पर तथा समय-समय पर अवधारित आवश्यक फीस दिए जाने पर उसे इंस्टीट्यूट का कारपोरेट कम्पलाइस एकजीक्यूटिव प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है एवं वह 'कारपोरेट कम्पलाइस एकजीक्यूटिव' प्रदनाम शब्द का प्रयोग कर सकता है।

छात्र को रजिस्ट्रेशन अवधि के अन्दर प्रशिक्षण आवश्यकवाओं सहित कारपोरेट कम्पलाइंस एकजीक्यूटिव प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। जिस व्यक्ति को कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, यदि वह चाहे तो नियमित कम्पनी सेक्रेटरीशिप पाठ्यक्रम का अध्ययन जारी रख सकता है।

इस अध्याय में दी गई सीमा या समय–समय पर अवधारित परिषद द्वारा निर्णीत सीमा के सिवाय 'रजिस्टर्ड स्टूडेण्ट्स' (पंजीकृत छांत्र) और 'परीक्षाओं' सम्बन्धी अध्याय 4 और 6 के विनियम, यथा परिवर्तित रूप में, 'कारपोरेट कम्पलाइंस एकजीक्यूटिव प्रमाण पत्र पाठ्यक्रग' पर लागू होंगे।

जिस छात्र को कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, उसे समय-समय पर अवधारित परिषद द्वारा 'प्रोग्राम क्रेडिट अवर्स (पीसीएसएच) की उतनी समायावधि कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाणपत्र के पुनः नवीकरण के लिए पूरी करनी होगी।

कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाणपत्रधारी का दर्जा 28ख

विनियम 28ए के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाणपत्र की स्वीकृति से कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यटिव को न तो मेम्बर (सदस्यता) का अधिकार मिल जाता है और न ही उसे इंस्टीट्यूट की मेंम्बरशिप का दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है।"

# उक्त विनियमावली के विनियम 38 में-

उप-खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् (1)

''इंस्टीट्यूट आफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउण्ट्रेंट्स की फाउण्डेशन परीक्षा या इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स की कॉमन प्रोफीश्येंसी टेस्ट (सीपीटी) या परिषद द्वारा अवधारित भारत अथवा विदेश में किसी अन्य मान्यता–प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण, अथवा''

उप-खण्ड (iii) में, परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-"बशर्ते कि जो अभ्यर्थी इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर अवधारित एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम या ऐसे (2)किसी अन्य समकक्ष कार्यक्रम या पाठयक्रम के शिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पूर्व खण्ड (iii) के अन्तर्गत फाउण्डेशन परीक्षा से छूट चाहता है, उसे कोचिंग प्रशासन के अध्यक्ष (चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो) से इस बात का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने फाउण्डेशन परीक्षा के उन विषयों में संतोषजनक रूप से डाक द्वारा पाठ्यक्रम या मौखिक ट्यूशन (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड शामिल है) से पूरा कर लिया है, जिन्हें उसने ग्रेज्यूएट अथवा पोस्ट-ग्रेज्युएट स्तर पर अध्ययन नहीं किया था।

उक्त विनियमावली के विनियम 39क में, उप-खण्ड(2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--"(2) फाउण्डेशन परीक्षा की पाठ्यचर्चा समय-समय पर परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यचर्या के अनुरूप होगी।" उक्त विनियमावली के विनियम 40 में खण्ड (ख) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"(खख) 1 सितम्बर 2009 को या उसके बाद एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम के रजिस्ट्रीकृत छात्र को सात दिन का स्टूडेण्ट इंडक्शन कार्यक्रम समय--समय पर परिषद द्वारा स्वीकृत ढंग से अपने रजिस्ट्रेशन की छह महीने की अवधि के अंदर सफलतापूर्वक पूरा करना होगा या उसे उससे छूट दी जाए।'

उक्त विनियमावली के विनियम 41ख में, उप खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(2) एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम परीक्षा की पाठ्यचर्चा समय-समय पर परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यचर्चा के अनुरूप होगी।" उक्त विनियमावली के विनियम 44ख में, उप-खण्ड(2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

'(2) प्रोफेशन कार्यक्रम परीक्षा की पाठ्यचर्चा समय-समय पर परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यचर्चा के अनुरूप होगी।'

उक्त विनियमावली के विनियम 48(घ) में, खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित खण्ड को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-"(घ) 1 सितम्बर 2009 को या उसके बाद एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम के रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी को और जिसे विनियम 48 के खण्ड(ख) या (ग) के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, आठ दिन के लिए एक्जीक्यूटिव डेवलेपमेंट कार्यक्रम में भाग लेना और सफलतापूर्वक पूरा करना होगा

और पच्चीस घण्टे अथवा परिषद द्वारा समय---समय पर स्वीकृत उतने घण्टों का प्रोफेशनल डेवलेपमेंट कार्यक्रम में भाग लेना होगा अथवा उससे छट प्राप्त करनी होगी।"

उत्तत विनियमावली के विनियम 50 में, खण्ड(ख) में दोनों स्थानों में आए 'सेक्रेटेरियल माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम ''शब्दों के स्थान पर'' ''मैनेजमेंट स्किल्ज ओरिएण्टेशन कार्यक्रम'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। उक्त विनियमावली के विनियम 55क में 'सेक्रेटेरियल माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम ''शब्दों के स्थान पर'' मैनेजमेंट स्किल्ज ओरिएण्टेशन 12.

13. कार्यक्रम" शब्दों को प्रस्थापित किया जाएगा।

उक्त विनियमावली के विनियम 55थ में, पाठ्यक्रम ख के बाद निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--14.

#### "पाठ्यक्रम गः कम्पीटीशन लॉ पाठ्यक्रम

कम्पीटीशन लॉ पाठ्यक्रम के निम्नलिखित दो भोग होंगे, अर्थात्-(1)

(क)

(ख)

पाठ्यक्रम के भाग I में 400 अंकों के चार प्रश्न पत्र होंगे और पाठ्यक्रम II में परिषद द्वारा समय–समय पर स्वीकृत कम्पीटिशन लॉ प्रेक्टिशनर, बड़ी कम्पनियों के विधि विभाग, विशेष रूप से कम्पनी लॉ प्रेक्टिस में संलग्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों या प्रेक्टिसरत सचिवों की फर्मों के विधि–विभागों के अन्तर्गत परिषद द्वारा निर्धारित विधियों तथा क्षेत्रों में 100 घण्टों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निहित रहेगा।

(2) भाग I के अभ्यर्थियों की परीक्षा चार विषयों में ली जाएगी, जिसमें निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे अर्थात:-

प्रश्नपत्र I	प्रतिस्पर्धा (कम्पीटीशन) की संकल्पना और अर्थशास्त्र		(100 अंक)	
प्रश्नपत्र II	प्रतिस्पर्धा—विरोधी करार और प्रभुता का दुरूपयोग		(100 अंक)	
प्रश्नपंत्र III	संयोजनों (Combinations) का विनियम		(100 अंक)	
प्रश्नपत्र IV	प्रतिस्पर्धा कम्पलाइंस कार्यक्रम		(50 अंक)	
प्रश्नपन्न V	केस अध्ययन	•	(50 अंक)	

(4)

15.

16.

17.

18.

1.

2.

(3) कम्पीटीशन लॉ पॉट्र्यकम के भाग I के लिए पाठ्यचर्या अनुसूची 'च' में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होगी। (4) इंस्टीट्यूट कम्पीटीशन लॉ पाद्यक्रम को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को समुचित फार्म में तत्संबंधी डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और वह 'डीसीएल (आईसीएसआई)" पदनाम शब्द और कोष्ठक को अपने नाम के आगे लगा सकेगा जिससे पता चले कि उसने इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी संक्रेटरीज आफ इण्डिया द्वारा ''पोस्ट--मेम्बरशिप डिप्लोगा इन कम्पीटीशन लॉ'' प्राप्त किया है।

पाठ्यक्रम घ : कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालियापन (इंसाल्वेंसी)

कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालियापन में निम्नलिखित दो माड्यूल होंगे, अर्थात्-(1)

- (क) (रव)
- 1992 पुनावन्यास आर दिवालियाभग ने गोन्मालाखत दा माङ्यूल कग, जलाए पाठ्यक्रम के माड्यूल क में 100 अंकों के चार प्रश्नपत्र होंगे और पाठ्यक्रम के माड्यूल ख में परिषद द्वारा निर्धारित विधि से आयोजित एक दिन की अनिवार्य वर्कशाप में भाग लेना होगा जो जून या दिसम्बर की लिखित परीक्षाओं से पहले होगी जिसमें अन्यर्थियों को अग्रिम रूप से दिए गए केस अध्ययनों पर प्रेजेण्टेशन देना होगा और विशेषज्ञों से विचारों का आदान प्रदान कर वर्कशाप के दौरान अपने अध्ययन पर संदेहों का निवारण करना होगा।

3

माड्यूल क' परीक्षा के अभ्यर्थियों की परीक्षा निम्नलिखित चार प्रश्नपत्रों में होगी जिनमें निम्नलिखित प्ररनपत्र होंगे, अर्थात:--(2)

प्रश्नपत्र I	कारपोरेट पुनर्विन्यास बचाव और दिवालियापन	100 अंक
प्रश्नपत्र II	कारपोरेट पुनर्विन्यास के रणनीतिक विकल्प	100 अंक
प्रश्नपत्र III	क्रास-बार्डर इसाल्वेंसी पद्धति और प्रक्रिया	100 अंक

प्रश्नपत्र IV इंसाल्वेंसी प्रेक्टिशनर्स के लिए व्यावसायिक तथा नैतिक आचरण 100 अंक

- (3)
- कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालिया के माड्यूल क की पाठ्यचर्या अनुसूची 'छ' में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होगी। इंस्टीट्यूट कारपोरेट पुनर्विन्यास और इंसाल्वेंसी पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने वाले अम्यर्थी को समुचित फार्म में तत्संबंधी डिप्लोगा प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और वह 'डीसीआरआई (आईसीएसआई) पदनाम शब्द और कोष्ठक अपने नाम के आगे लगा सकेगा जिससे पता चले कि उसने इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया द्वारा 'पोस्ट मेम्बरशिप डिप्लोमा इन कारपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसाल्वेंसी'' प्राप्त किया है।
  - उक्त विनियमावली के विनियम 55ढ में, परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
  - "बशर्ते यह भी कि परिषद उप--विनियम (1) में निर्धारित शोध-प्रबंध या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एवज में या इसके अलावा पोस्टमेम्बरशिप क्वालिफिकेशंस पाठ्यक्रमों के भाग II में उत्तीर्ण होने के लिए कोई अन्य प्रशिक्षण, वर्कशाप या किसी अन्य आवश्यकता का प्रावधान कर सकती है।"
- उक्त विनियमावली के विनियम 149 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

पिप विभिन्नापरि के विभिन्न में के आरम्भ होने से पूर्व सचिव वार्षिक वित्त-विवरण (बजट) तैयार करेंगे जिसमें वित्त वर्ष के लिए सभी अनुमानित आय और व्यय शामिल होंगे और इसे परिषद की स्वीकृति के लिए पेश करेगा। (2) सचिव वित्त-विवरण (बजट) तैयार करते हुए क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा।

(3) परिषद अपने सामने प्रस्तुत वार्षिक विवरण (बजट) पर विचार करेगी और उसे अगले वित्त-वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व संशोधनों के साथ या बिना संशोधन किए स्वीकृत करेगी।"

उक्त विनियमावली के विनियम 151 में निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

 (1) 151 (1) इंस्टीट्यूट के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट या फर्म या चार्टर्ड एकाउण्टेंटों द्वारा किया जाएगा।
 (2) परिषद प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह की तेरह तारीख से, कम से, कम दो महीने पहले, पिछले वर्ष के लेखों को लेखापरीक्षक को सौंप देगी और लेखा परीक्षक इन लेखों की जांच करेगा और उस वर्ष सितम्बर माह की तेरह तारीख से, अधिक से अधिक एक महीने में उस पर अपनी रिपोर्ट दे देगा।

(3) लेखा परीक्षक लेखों के बारे में कोई जानकारी या स्पष्टीकरण सचिव से मांगने का हकदार होगा और उसे वह उस समय तक उपलब्ध जानकारी और स्पष्टीकरण दे दी जाएगी।

उक्त विनियमावली के विनियम 155 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

पि विभियापिया के विभिया 155 के बाद मान्माराखर विभिया जाड़ा जारेगा, अवार्य-"1556 (1) यदि परिषद की जानकारी में यह बात लाई जाती है कि इंस्टीट्यूट के लेखे इंस्टीट्यूट की वित्तीय स्थिति को सच्चाई और वास्तविक रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो परिषद स्वयं इनकी विशेष लेखापरीक्षा कराएगी।" (2) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोई जानकारी परिषद को मेजी जाती है कि परिषद के लेखे सच्चाई और समुचित वित्त स्थिति को नहीं दर्शाते हैं तो परिषद, जहां कहीं उचित हो, विशेष लेखा परीक्षा कराएगी या ऐसी कोई कार्रवाई करेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, और इस पर केन्द्र सरकार को 'कार्रवाई रिपोर्ट' प्रस्तुत करेगी।''

- उक्त विनियमावली के विनियम 157 में निम्नलिखित विनियम को जोड़ा जाएगा; अर्थात्:--19.
- "157क परिषद और इंस्टीट्यूट के कर्मचारीगण अनुसूची 'च' में निर्धारित इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया एम्पलाइज सेवा शर्तों से अधिशासित होंगे।"
- उक्त विनियमावली में, अनुसूची 'ङ' के बाद निम्नलिखित अनुसूचियां जोड़ी जाएंगी; अर्थात्-20.

# "अनुसूची 'च'

इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया सेवा नियमावली 1979, परिषद द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित"

#### अन्सची 'छ'

'पोस्ट—मेम्बरशिप डिप्लोमा इन कम्पीटीशन लॉ' के भाग I के लिए पाठ्यचर्या

- समग्र रूप से उद्देश्य और कार्यक्षेत्र: कम्पीटिशन लॉ की विधि, प्रक्रियागत और व्यावहारिक पहलुओं तथा इससे जुड़े मामलों के क्षेत्रों में कम्पनी सचिवों की क्षमता का निर्माण करना।
- कम्पीटीशन लॉ में पोस्ट--मेम्बरशिप अर्हता पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं कि जो सदस्य कम्पीटीशन लॉ में पोस्ट--मेम्बरशिप अर्हता पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं, उन्हें निम्नलिखित में निपुणता प्राप्त हो:-
- वे प्रतिस्पर्धा की विभिन्न संकल्पनाओं, प्रतिस्पर्धा के अर्थशास्त्र को समझ सकें जिसमें बाजार में प्रतिस्पर्धा के पहलुओं से अभिभूत प्रभावों के आर्थिक सिद्धांतों एवं नीतियों तथा कम्पीटीशन लॉ का आप्रेशन भी शामिल है।
- भारत में प्रतिस्पर्धा से जुड़े कानूनों तथा प्रमुख विदेश क्षेत्राधिकारों में निपुणता, अन्तर्दृष्टि तथा सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना।

	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III	Sec. 4
ø	कम्पीटीशन कमीशन आफ इण्डिया तथा सेक्टोरल रेगुलेटर्स के बीच इंटरफेस की समझ और जानकारी।	
0	प्रेक्टिसरत कम्पीटीशन लॉ की समझ होना और विशेष रूप से भारत में कम्पीटीशन लॉ के प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं की प्रक्रियाओं	
	को समझना जिसमें कम्पीटीशन कमीशन आफ इण्डिया तथा कम्पीटीशन अपीलीय अधिकरण के साथ किस प्रकार से निपटा जाए– इसे भी	
	समझना।	
	प्रतिस्पर्धा अनुपालन कार्यक्रम की महत्ता और विन्यास को समझना और जानकारी रखना; इसका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन, गानीटरिंग और	
	मुत्यांकन करना।	
•	वाणिज्यिक प्रसंग में कम्पीटीशन लॉ के ज्ञान को लागू करने में समर्थ हो पाना।	
4.	प्रश्ननंत्र i से IV तक तीन घण्टों की अवधि के होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र के 100 अंक होंगे ।	
5.	परीक्षा का लेखन—माध्यम इंगलिश होगा।	
राषार्ते कि	परिषद इस बारे में समर्थ होगी कि वह किसी विशेष प्रश्न पत्रों के लेखन—माध्यम के लिए हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दे सकती है।	
	। लॉ में पीएमक्यू पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या	
q/ qiciti	ર છે. તે વાર્ડ્સવર્થુ વાર્ડ્સવર્થ જે દેવરે ગાંડ્સ ગાંડ ગાંડ્સવર્થ	
भाग-! -	ग्रनपत्र (I, II, III और IV)	
प्रश्नपत्र I	कम्पीटीशन लॉ की संकल्पना और अर्थशास्त्र	
ACT AT	(100 अंक)	
1.	परिभाषा, प्रकृति, कम्पीटीशन की युक्तिसंगतता और उद्देश्य तथा कम्पीटीशन लॉ; कम्पीटीशन लॉ और नीति के बीच सम्बन्ध;	
2.	कम्पीटीशन के सिद्धांत : संपूर्ण कम्पीटीशन : संपूर्ण कम्पीटीशन के लाभ – एलोकेटिव कार्यकुशलता, प्रोडक्टिव कार्यकुशलता, डायनेमिक	
	कार्यकुशलता; मोनोपोली के हानिकारक प्रभाव,	
3.	स्केल तथा प्राकृतिक मोनोपोलीज की अर्थव्यवस्थाएं : नेटवर्क प्रभाव; बाजार के दो पक्ष; नेटवर्क प्रभाव और कम्पीटीशन नीति; विशेष सेक्टर्स,	
	कम्पीटीशन की लाभप्रद बंदिशें, नैतिक मुद्रे,	
4.	बाजार की परिभाषा और बाजार की शक्ति : बाजार की परिभाषा, संगत उत्पाद बाजार, संगत भौगोलिक बाजार, बाजार की शक्ति, बाजार के	
	शेयर और बाजार का केन्द्रीयकरण,	
5.	भारत में कम्पीटीशन लॉ का विकास : भारत कम्पीटीशन लॉ का इतिहास, जिसमें संवैधानिक प्रावधान शामिल हैं तथा संगत समितियों की	
	रिपोर्ट,	
6.	कम्पीटीशन एक्ट 2002 के अन्तर्गत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क : कम्पीटीशन कमीशन आफ इण्डिया (सीसीआई), कम्पीटीशन कमीशन के कत्तव्य,	
	शक्तियां और कार्य; कम्पीटीशन अपीलीय अधिकरण; अपीलीय अधिकरण की शक्तियां; लीगल रिप्रेजेन्टेशन के अधिकार; सुप्रीम कोर्ट को	
	अपील; केन्द्र सरकार की शक्तियां; एक्स्ट्रा-टेरीटोरियल्टी और प्रभावी सिद्धांत;	
7.	कम्पीटीशन कमीशन और सेक्टोरियल रेगुलेटर्स के बीच इंटरफेस : विनियमन के सिद्धांत में निहित कैम्पीटीशन, कम्पीटीशन अथारिटी और	
	कतिपय क्षेत्राधिकारों में सेक्टोरल रेगुलेटर्स, सेक्टोरल रेगुलेटर्स अधिशासित कम्पीटीशन एक्ट और लॉज के अन्तर्गत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क,	
8.	कम्पीटीशन लॉ का इतिहास तथा कतिपय देशों– यूएस, यू.के. यूरोपीय संघ– में कम्पीटीशन लॉ।	
	प्रतिस्पर्धा—विरोधी करार और प्रभुता का दुरूपयोग	
प्रश्नपत्र II		
	(100 अंक)	
गतिस्पर्धा <u></u> ि	वेरोधी करार	
n a com - P		
	करार की परिभाषा; करार और उनका कार्यक्षेत्र; प्रतिस्पर्धा–विरोधी करारों पर विशेध; स्वतः और दलील (Reason) का नियम	
	प्रतिस्पर्धा–विरोधी करारों के प्रकार : हॉरीजेंटल करार जिसमें कार्टेल शामिल हैं, कतिपय हॉरीजेंटल करारों के मामलों में परिकल्पना	
	वर्टिकल करार	
•	कम्पीटीशन कमीशन आफ इण्डिया द्वारा पूछताछ सम्बन्धी प्रक्रिया	
	अपवाद– ज्वाइंट वेंचर, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, निर्यात छूट	
	कम्पीटीशन कमीशन द्वारा आदेश तथा उल्लंघनों के लिए दण्ड	
	The second	
t Trugdit	काटेल्स के लिए नर्म रूख सम्बन्धी कार्यक्रम	
भिता किंग	ति का दुरूपयोग	1
Junita	N 10 3 N 11 1	
	ाणना को धरियाण और संक्रमान	
	प्रभुता की परिभाषा और संकल्पना;	
	प्रभुता का दुरूपयोग– अनन्य (एक्सलुनरी) दुरूपयोग और शोषणकारी दुरूपयोग;	
	प्रभुता स्थिति के दुरूपयोग में कम्पीटीशन कमीशन आफ इण्डिया द्वारा जांच के लिए प्रक्रिया	
	प्रभुता स्थिति के दुरूपयोग के खिलाफ उपचार	
খনদর III	संयोजनों (COMBINATIONS) का विनियमन	

- संयोजनों की परिभाषा, मर्जर्स, अधिग्रहण, समामेलन, एक्वीजीशन आफ कंट्रोल सहित संयोजनों के प्रकार;
- कम्पीटीशन कमीशन आफ इण्डिया के क्षेत्राधिकार
- क्षेत्राधिकार परीक्षण–टर्न ओवर, आरित, घरेलु सम्बन्ध, छूट
- संयोजनों सम्बन्धी अधिसूचना
- संयोजनों में जांच सम्बन्धी प्रक्रिया 6
- एप्रीश्येबल एडवर्स इफेक्ट का परीक्षण .
- संयोजनों के मामलों में उपचार और आदेश .

कम्पीटीशन कंप्लाइंस कार्यक्रम प्रश्नपत्र IV

(100 अंक)

- कम्पीटीशन कंप्लाइंस कार्यक्रम के उद्देश्य और लाभ; -• उद्यमियों के लिए कम्पीटीशन कप्लाइंस कार्यक्रम के घटक;
- ट्रेड एसोसिएशनों के लिए कंप्लाइंस कार्यक्रम; 0
- कंप्लाइंस कार्यक्रम तैयार करने के लिए सामान्य मार्गनिर्देश 0
- यूके, यूएस तथा यूरोपीय संघ के देशों में कम्पीटीशनल कंप्लाइंस कार्यक्रम;
- .

कंप्लाइंस कार्यक्रम का कार्यान्वयन- प्रशिक्षण, मानीटरिंग और मूल्यांकन।

[भाग III-खण्ड 4]

प्रतिस्पर्धा-विरोधी करार

केस अध्ययन (50 अंक)

अहल्स्ट्रोम ओसाकेहिटो बनाम कमीशन (वुड पल्प) (1993) ईसीआर I—1307, ईसीजे

- यूरोपीयन कमीशन बनाम वोल्कसवेगन, केंस सी–74/04 पी
- कोंस्टेन एंड ग्रंडिंग बनाम कमीशन (1966) ईसीआर 299,ईसीजे
- बेयर एजी बनाम कमीशन (2000)ईसीआर II-3383 (2001) 4 सीएमएलआर 126
- स्टर्गियोस डिलिमिटिस बनाम हैन्नीन्गर ब्रोएजी (1991) ईसीआर I–935 ईसीजे
- फेडरल ट्रेड कमीशन बनाम इण्डियाना फेडरेशन आफ डेण्टिस्ट्स 476 यूएस 447 (1986) लीगीन क्रिएटिव लैदर प्रोडक्ट्स इंका. बनाम पीएसकेएस इंका. 551 यूएस 877 (2007)
- जीटीई सिल्वानिया इंका. बनाम कॉन्टिनेंटल टीवी इंका. 433 यूएस 39 (1977) 8
- ई.आई. डूपोंट डि नेमूर्स कं. बनाम एफटीसी 729 एफ 2डी 128 (2डी सर. 1984)
- टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कं. लि. बम्बई बनाम रजिस्ट्रार, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एग्रीमेंट, नई दिल्ली, एआईआर 1977 एससी 973 डायरेक्टर जनरल (आई एंड आर) यूनीवर्सल सिलेण्डर्स लि. आरटीपी इक्वायरी 10. 11.

# प्रभुता का दुरूपयोग

- हॉफमेन्न–ला रोश एंड कं. एजी बनाम कमीशन, केस 85/76, (1979) ईसीआर 461, ईसीजे, (1979)3 सीएमएलआर 211 12
- 13
- यूरोपेमबैलेज कार्पो. बनाम कमीशन (कॉन्टीनेंटल कैन), केस 6/72, (1973) ईसीआर 215 युनाइटेड ब्रांड्स कं बनाम कमीशन, केस 27/76 (1978) ईसीआर 207, ईसीजे 14
- इस्टीट्यूटो केमियोटेरापीको इटालियानो एसपीए बनाम कमीशन (कमर्शिल सॉल्वेंट्स) केसेज 6,7 / 73 (1974) ईसीआर 223, ईसीजे 15
- रेडियो टेलीफिस ईरियान्न बनाम कमीशन (मागिल्ल), केरोज सी-241/91पी और सी 242/91पी, (1995), ईसीआर I-743, ईरीजि 16.
- माइक्रोसाफ्ट कार्पो. बनाम कमीशन, केस टी–201/04, (2007) ईसीआर II–1491, सीएफआई 17
- टेट्रा पाक इंटरनेशनल एसए बनाम कमीशन, (टेट्रा पाक–II), केस सी–333/94 पी (1996) ईसीआर I–5951. (1997) 4 सीएमएलआर 662 18. फ्रांस टेलेकॉम एसए बनाम कमीशन (वानाडू), केस टी–340/03, (2007) ईसीआर II–00107, सीएफआई
- 19. इंटेल कार्पोरेशन बनाम कमीशन, केस सीओएमपी / सी-3 / 37.990-इंटेल 20.
- वेरीजन कम्यूनिकेशंस इंका. बनाम लॉ आफिस आफ कर्टिस बनाम ट्रिंको, 540 यूएस 398 (2004) 21
- नार्दर्न पेसिफिक रेलवे कं. बनाम युनाइटेड स्टेट्स, 356 यू.एस. I (1958) 22.

# संयोजन

- बोईंग/मेक्डानल डूगलेस (केस नं. IV/एम.877–97/816/ईसी) 23.
- एयरट्र्स बनाम कमीशन, केस टी-342/99 (2002) ईसीआर II-2585, सीएफआई 24.
- बेर्टेल्स्मान्न एजी बनाम कमीशन (इंपाला) केस सी-413/06 पी (2008) ईसीआर I-4951 (10 जुलाई 2008), ईसीजे 25
- टेट्रा लावल बीवी बनाम कमीशन, केसेज सी12/03 और सी–13/03 पी (2005) ईसीँआर I–1113, ईसीजे 26
- जनरल इलैक्टिक बनाम कमीशन, केस टी–210/01, (2005) ईसीआर II–5575, सीएफआई 27
- फेडरल ट्रेड कमीशन बनाम स्टेफ्ल्स, इंका. सिविल नं. 97-701 (टीएफएच) 28
- हिन्दुस्तान लीवर इम्पलाइज यूनियन बनाम हिन्दुस्तान लीवर लि. एआईआर 1995 एससी470 29

#### भाग- II

समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित ढंग और क्षेत्रों में 100 घण्टों का प्रशिक्षण

अनुसूची 'ज'

कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालिया में पोस्ट-मेम्बरशिप पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या

- समग्र रूप से उद्देश्य और कार्यक्षेत्र
- कारपोरेट पुनर्विन्यास, बचाव और दिवालियापन तथा इनसे सम्बन्धित मामलों में विधिक, व्यावहारिक और प्रयोज्य--वर्ती पहलुओं के क्षेत्रों में 2 व्यावसायिक बनने की क्षमता का निर्माण करना
- अभ्यर्थी को कारपोरेट पुनर्विन्यास, बचाव और दिवालियापन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर निपुणता, अन्तर्दृष्टि और सम्पूर्ण ज्ञान प्रदान करना।
- केस अध्ययनों की मदद से कारपोरेट बचाव और दिवालिया सम्बन्धी विधिक और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करना।
- केस अध्ययनों की मदद से पुनर्विन्यास प्रक्रिया के प्रबंधन तथा प्रशासन की विशेषज्ञ जानकारी और दक्षता प्रदान करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की सर्वोत्तम प्रेक्टिस के संदर्भ में कारपोरेट बचाव के विधिक, प्रक्रियात्मक एवं प्रयोज्य पहलुओं की अन्तर्दृष्टि प्रदान करना। कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालियापन सम्बन्धी सम्पूर्ण फ्रेमवर्क के बारे में एक समन्वित दृष्टिकोण देते हुए वैश्विक प्रवृत्तियों तथा पद्धतियों की जानकारी प्रदान करना।
- अभ्यर्थी को कारपोरेट पुनर्विन्यास तथा दिवालियापन के विषय में तकनीकी, विश्लेषणात्मक और प्रयोज्यवर्ती दक्षता प्रदान करना।
- पुनर्विन्यास, बचाव तथा दिवालिया प्रक्रिया से जुड़े विधिक और तकनीकी मुद्दों के बारे में पुर्वानुमान लगाने की दक्षता प्रदान करना एवं व्यावहारिक समाधान प्रदान करना।
- अभ्यर्थी को इंसाल्वेंसी प्रेक्टिशनर के रूप में काम करने के लिए उसकी जिम्मेदारियों और जवाबदेही को समझने में समर्थ बनाना तथा उनसे परी तरह अवगत कराना।
- नैतिकता तथा सर्वोत्तम प्रेक्टिस के मानकों को स्थापित करना।

1 यह सूची उदाहरणस्वरूप है।

2004GI/12-2

प्रश्नपत्र I से IV तक तीन घण्टों की अवधि के होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र के 100 अंक होंगे !

परीक्षा का लेखन माध्यम इंगलिश होगा।

बशते कि परिषद इस बारे में समर्थ होगी कि वह किसी विशेष प्रश्नपत्रों के लेखन–माध्यम के लिए हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दे सकती है। कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालियापन सम्बन्धी पोस्ट–मेम्बरशिप पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या

# माड्यूल क- प्रश्नपत्र (I, II, III और IV)

प्रश्नपत्र I

6

# कारपोरेट पुनर्विन्यास, बचाव और दिवालियापन

# (100 अंक)

- ) कार्पोरेट पुनर्विन्यास, बचाव और दिवालियापन की संकल्पनाः दिवालियापन की संकल्पना, इतिहास की घटनाएं, बुनियादी अवधारणाएं और परिभाषाएं।
- कारपोरेट दिवालियापन सम्बन्धी विधि का उद्गम : यूएसए, यूके और भारत में दिवाला विधियों का इतिहास, कम्पनी अधिनियम 1956, रू<sup>1</sup>ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1965, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्विन्यास तथा प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002, कम्पनी बिल 2009 तथा अन्य विधियों का प्रवर्तन ।
- रूग्ण कम्पनियों का पुनरुत्थान, पुनर्वास और पुनर्विन्यास : रूग्ण कम्पनियों सम्बन्धी विधि तथा प्रक्रिया के विशेष संदर्भ में रूग्ण कम्पनियों और उनकी पुनरूत्थान।
- प्रतिभूतिकरण और ऋण वसूली : प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों के पुनर्विन्यास पर एक विंहगम दृष्टि और सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 का प्रवर्तन, प्रसंस्करण, भागीदार, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी), आस्ति पुनर्विन्यास कम्पनियां (एआरसी), क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (क्यूआईबी)।
- ) ऋण वसूली अधिनियम : बैंकों को बकाया ऋण वसूली और वित्तीय संख्यान अधिनियम 1993 पर एक विहंगम दृष्टि, अधिकरण, प्रक्रिया, बैंकों और ऋणदाताओं के साथ समझौता तथा व्यवस्था
  - समापन (Winding up) : संकल्पना, समापन के तरीके, समापन के प्रशासनिक तंत्र/समापन प्रसंस्करण तथा प्रक्रिया; परिसमापन में प्रबंधन; स्टेकहोल्डर्स और परिसमापन के पक्ष; स्टेकहोल्डरों/ऋणदाताओं आदि की बैठक करना; ठेकों का निपटान; प्रबंधन सम्पदा; समापन के परिणाम; अपंजीकृत कम्पनियों का समापन; विघटन।

# प्रश्नपत्र 2 कारपोरेट पुनर्विन्यास के विकल्प

(100 अंक) बदलता विश्व और पुनर्विन्यास इसका प्रभाव : वैश्वीकरण; सेवा अर्थव्यवस्था की प्रभुता; टेक्नालॉजिकल तथा कम्युनिकेशन प्रगति; वित्तीय अवसरों तथा वित्तीय नवीन खोजों का विस्तार; व्यावसायिकों की भूमिका।

बदलते समय में कारपोरेट पुनर्विन्यास : वित्तीय कुप्रबंधन; लिविवडिटी क्रंच, सब–प्राइम क्रॉइसेस; वैषिवक मंदी; व्यापार विफलताओं के समाधान

संकल्पना और रणनीति : कारपोरेट पुनर्विन्यास का अर्थ, आवश्यकता, कार्यक्षेत्र और रीतियां; ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विश्व परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य।

विभिन्न कारपोरेट पुनर्विन्यास रणनीतियों की योजना, निर्माण और कार्यान्वयन--मर्जर्स, अधिग्रहण, टेकओवर्स, विनिवेश और रणनीतिक गठबंधन, डिमर्जर्स और हाइविंग ऑफ

मर्जर्स और समामेलन : संकल्पना; स्टाम्प ड्यूटी और अन्य मिश्रित मामलों सहित मर्जर्स और समामेलन सहित विधि, प्रक्रियात्मक, आर्थिक एकाउण्टिंग, कराधान और वित्तीय पहलू: लघु निवेशकों के हित, कम्पीटीशन लॉ के अधीन मर्जर पहलू; न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र; विभिन्न फार्मों को फाइल करना; बैंकिंग कम्पनियों के समामेलन और सरकारी कम्पनियों सम्बन्धी प्रक्रिया; क्रांस बार्डर मर्जर्स।

टेक ओवर्स : अर्थ और संकल्पना; टेकओवर्स के प्रकार, विधिक पहलू– सेबी टेक ओवर्स विनियमन; प्रक्रियात्मक, आर्थिक, वित्तीय, लेखा विधि और कराधान पहलू, स्टाम्प ड्यूटी तथा अन्य मिश्रित मामले, किसी प्रतिफल के बदले भुगतान; बेल–आऊट टेकओवर्स तथा रूग्ण यूनिटों का टेकओवर, टेकओवर डिफेंसेज; क्रास बार्डर टेक ओवर्स। कारपोरेट डिमर्जर्स और रिवर्स मर्जर्स : डिमर्जर की संकल्पना; डिमर्जर के ढंग– करार द्वारा, किसी व्यवस्था की योजना के अधीन; डिमर्जर और स्वैच्छिक समापन; विधिक तथा प्रक्रियात्मक पहलू, कर पहलू और राहत; रिवर्स मर्जर्स–प्रक्रियात्मक पहलू और कर निहितार्थ।

न्यायालेतर पुनर्विन्यास : कारपोरेट ऋण पुनर्विन्यास तंत्र (सीडीआरएम), सीडीआरएम तथा अन्य प्रक्रियात्मक पहलुओं के लिए आरबीआई के मार्गनिर्देश।

निदेशकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां : सामान्य विश्वासी (फिड्यूशरी) ड्यूटियां, कतिपय कार्य, जिनसे निदेशकों की देयता उत्पन्न होने की संभावना बनती है; एसआईसीए, कम्पनीज एक्ट 1956 के अधीन निदेशक बोर्ड की भूमिका; निदेशकों की देयताओं सम्बन्धी दिवालियापन; समापन आदि में कदाचरण; निदेशकों की दाण्डिक तथा सिविल देयता।

मर्जर्स और टेकओवर्स की धन व्यवस्था : वित्तीय विकल्प, गुण और अवगुण, ईविवटी और प्रेफ्रेंशियल शेयरों सहित वित्तीय लिखतों के विभिन्न प्रकार, शेयर, विभेदपूर्ण अधिकारों वाले विकल्प और प्रतिभूतियां, स्वैप, स्टॉक विकल्प, विदेशी वाणिज्यिक ऋण, वित्तीय संस्थानों और बैंकों के माध्यम से धन—व्यवस्था, पुनर्वास वित्त: प्रबंधन बाई— आऊट्स/लीवरेज्ड बाई आऊट्स।

वित्तीय पुनर्विन्यास ः पूंजी का ह्रास, शेयर पूंजी का पुनर्गठन, शेयरों की पुनः खरीद—संकल्पना और आवश्यकता, सूचीबद्ध और गैर—सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा शेयरों की पुनः खरीद की प्रक्रिया।

शेयरों और कारोबार का मूल्यांकन : प्रस्तावना; आवश्यकता और प्रयोजन, मूल्यांकन के तरींके; कारपोरेट और कारबार मूल्यांकन।

पोस्ट मर्जर पुनर्गठन : पोस्ट मर्जर पुनर्गठन के कारक, कारोबार तथा आप्रेशनों का एकीकरण, वित्तीय लेखा विधि, कराधान, पोस्ट मर्जर मूल्यांकन, मानवीय तथा सांस्कृतिक पहलू, पोस्ट मर्जर उद्देश्यों के आकलन की सफलता; पोस्ट मर्जर दक्षता का मापन।

पुनर्विन्यास और दिवालियापन के गवर्नेस पहलू : कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालियापन सम्बन्धी गबर्नेस पद्धतियों से जुड़ी घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां/पुनर्विन्यास प्रक्रिया में शेयरहोल्डर डेमोक्रेसी, कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत अनुपालन सहित रेगुलेटरी अनुपालन; सेक्षी, सूचीबद्ध करार आदि। गवर्नेस विफलताओं तथा पुनर्विन्यास पर केस अध्ययन; कारपोरेट पुनर्विन्यास के व्यावहारिक केस; परिसमापन तथा दिवालियापन के निवारण के लिए उपाए।

(100 अंक)

(100 अंक)

प्रश्नपत्र 3 , क्रास—बार्डर दिवालिया : प्रीकेटस और प्रक्रिया

क्रास बार्डर दिवालियापन; युनाइटेड नेशंस कमीशन आन इंटरनेशनल ट्रेड मॉडल लॉ आन क्रॉस–बार्डर इसालवेंसी; युनाइटड नेशस कमीशन आन इंटरनेशनल ट्रेड लेजिस्लेटिव गाइड टू इंसालवेंसी लॉ; प्रभावकारी इंसालवेंसी और क्रेडिटरों के लिए विश्व बैंक के सिद्धांत; कारपोरेट बचाव और युनर्पिन्यास के एशियन डेवलेपमेंट बैंक के सिद्धांत।

प्रश्नपत्र ४ इंसाल्वेंसी प्रेक्टिशनर्स के लिए व्यावसायिक एवं नैतिक पद्धतियां

इंसाल्वेंसी प्रेक्टिशनरों के लिए जिम्मेदारियां तथा जवाबदेही; इंसाल्वेंसी प्रेक्टिशनर्स के कार्य; इंसाल्वेंसी प्रेक्टिशनरों के कर्त्तव्य; अनुमत्य तथा गैर–अनुमत्य कार्थ; विश्वासी (फिड्यूश्यरी) के रूप में अनिवार्य आवश्यकताएं और सिफारिशी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में व्यावसायिक जवाबदेही; सम्पत्तियों की जिम्मेदारी; स्टेकहोल्डरों के हितों का निष्पक्ष आकलन; सांविधिक या अन्वेषणकारी या रिपोर्टिंग दायित्व, कारोबार सम्बन्धी निर्णय, स्वतंत्र, ईमानदार और सोदेश्यता आदि; आचरण संहिता और नीतिशास्त्र।

माड्यूल ख

अभ्यर्थियों के लिए समय-समय पर परिषद द्वारा स्वीकृत ढंग और क्षेत्रों में एक दिन का वर्कशाप अनिवार्य है।

परिषद् के आदेश द्वारा

एन. के. जैन, सचिव व सीईओ

[विज्ञापन 111/4/121/12/असा.]

टिप्पण : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना आईसीएसआई सं. 710/2 (1) दिनांक 16 सितम्बर 1982 और उसके बाद संशोधनों को प्रकाशित किया गया और इसके बाद निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए

(i) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 30.03.1984
(ii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 03.05.1984
(iii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 09.05.1984
(iv) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 09.09.1986
(v) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 23.02.1987
(vi) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 23.02.1987
(vii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 23.02.1987
(viii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 23.08.1988
(viii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 23.08.1988
(ix) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (18) दिनांक 20.08.1993 और 24.11.1993
(x) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (20) दिनांक 28.11.1996
(xii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (20) दिनांक 10.08.2001
(xiii) अधिसूचना सं. /710/1/एम (1) दिनांक 03.05.2006
(xiv) अधिसूचना सं./710/1/एम (1) दिनांक 26.06.2006

(xv) अधिसूचना सं./710/1/एम (1) दिनांक 23.07.2010

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

# (The Institute of Company Secretaries of India)

# (Constituted under the Company Secretaries Act, 1980)

#### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 4th June, 2012

No. 710/1(M)/2.—Whereas the draft regulations further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982 were published as required by sub-section (3) of section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) at pages 1 to 20 in the Gazette of India, Extra Ordinary, Part III, Section 4, vide number 710/1(M)/1 dated the 30th January, 2012 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the said gazette containing the Notification as published in the Gazette of India were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 31st January, 2012;

And whereas the objections and suggestions received within the aforesaid period from the public in respect of the said draft regulations have been duly considered by the Council;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Council, with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982, namely :-

1. (1)

These regulations may be called 'The Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2012. (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Company Secretaries Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 11, in sub-regulation (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

- "(e) A member has not complied with the guidelines issued by the Council from time to time".
- In the said regulations-

8

- (1) after the words "Intermediate Examination" wherever they occur, the words "or Executive Programme Examination" shall be inserted.
- (2) after the words "Final Examination" wherever they occur, the words "or Professional Programme Examination" shall be inserted.

4. In regulation 20 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following subregulation shall be inserted, namely:-

(2A) "A person who has appeared or enrolled himself for appearing in the degree examination in any discipline other than the Fine Arts or an examination recognised by the Central Government as equivalent thereto may be provisionally enrolled for undergoing coaching for the Executive Programme:

Provided that the provisional enrolment for undergoing coaching for the Executive Programme shall be confirmed after satisfactory proof of having passed the aforesaid examination has been furnished by him to the Secretary within a period of six months from the date of provisional enrolment:

Provided further that if such a person fails to produce such proof within the aforesaid period, his provisional enrolment shall be cancelled and no tuition or any other fee paid by him shall be refunded and no credit shall be given for the coaching undergone by him".

5. After Chapter IV of the said regulations, the following Chapter shall be inserted, namely:-

## "Chapter IV A Corporate Compliance Executive Certificate - ICSI

28A. Corporate Compliance Executive Certificate

- (1) A registered student of the Institute who has passed the Foundation examination and such papers of the Intermediate examination or Executive programme as may be decided by the Council from time to time or exempted therefrom and has completed the training requirements and attended the professional development programmes or such other programmes as may be decided by the Council from time to time may apply for award for the Corporate Compliance Executive Certificate and on his application being accepted by the Secretary and on payment of the requisite fee as may be determined by the Council from time to time, may be awarded Corporate Compliance Executive Certificate of the Institute and shall be entitled to use the descriptive letters Corporate Compliance Executive'.
- (2) The student shall have to complete the course of Corporate Compliance Executive Certificate including the training requirements within the registration period.
- (3) The person having awarded the Corporate Compliance Executive Certificate may continue to pursue the regular Company Secretaryship course if he so desires.
- (4) Except to the extent provided in this Chapter or as decided by the Council from time to time, regulations in Chapter IV and VI relating to 'Registered Students' and 'Examinations' shall mutatis-mutandis apply to the 'Corporate Compliance Executive Certificate Course'.
- (5) A student after having awarded the Corporate Compliance Executive Certificate shall secure such number of Programme Credit Hours (PCSH) as the Council may determine from time to time, for renew of Corporate Compliance Executive Certificate.

#### 28B. Status of holder of Corporate Compliance Executive Certificate

The grant of certificate under regulation 28A shall not confer on the Corporate Compliance Executive the rights of a member, nor entitle him to claim membership of the Institute".

6

8.

10.

11.

In regulation 38 of the said regulations, -

(1) for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :-

"(ii) Pass in the Foundation Examination of the Institute of Cost and Works Accountants of India or Common Proficiency Test (CPT) of the Institute of Chartered Accountants of India or any other Institution in India or abroad recognised as equivalent thereto by the Council; or"

(2) in sub-clause (iii), for the proviso, the following proviso shall be substituted namely:-

"Provided that a candidate who is seeking exemption from the Foundation Examination under clause (iii) above before becoming eligible for undergoing coaching for the Executive programme or such other equivalent programme or course as may be prescribed by the Institute of Company Secretaries of India from time to time may be required to produce a certificate from the head of the coaching administration (by whatever name designated) to the effect that he has undergone satisfactorily a course of postal or oral tuition (inclusive of electronic mode) for those subject of the Foundation examination which he had not studied at the graduate or post graduate level."

7. In regulation 39 A of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

> The syllabus for the Foundation examination shall be such as may be approved by the Council from time to time".

In regulation 40 of the said regulations, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

> "(bb) a student registered for Executive Program on or after the1st September, 2009 shall successfully complete within a period of six months of his registration Student Induction Program for seven days in such manner as may be provided by the Council from time to time or may be exempted there from".

9. In regulation 41B of the said regulations, for sub-regulation (2), the following subregulation shall be substituted, namely:-

> The syllabus for the Executive Programme Examination shall be such as may be "(2) approved by the Council from time to time".

In regulation 44B of the said regulations, for sub-regulation (2), the following subregulation shall be substituted, namely:-

The syllabus for the Professional Programme Examination shall be such as may be "(2) approved by the Council from time to time."

In regulation 48 of the said regulations, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(d) a candidate registered for Executive Programme on or after the 1st September 2009 and is required to undergo training under clause (b) or (c) of regulation 48, shall attend and complete successfully Executive Development Programme for eight days and attend Professional Development Programmes for twenty five hours or for such hours as may be approved by the Council from time to time or exempted therefrom".

12. In regulation 50 of the said regulations, in clause (b), for the words "Secretarial modular training programme", occurring at both the places, the words "management skills orientation programme" shall be substituted.

In regulation 55A of the said regulations, for the words "Secretarial modular training 13. programme", the words "management skills orientation programme" shall be substituted.

In regulation 55S of the said regulations, after Course B, the following Courses shall be 14. inserted, namely:-

"Course C: Competition Law Course

The Competition Law Course shall comprise of following two parts namely-(1)

(a) (b)

1.3

211

Part I of the Course shall consist of four papers of 400 marks, and

Part I of the Course shall consist of four papers of 400 marks, and Part II of the Course shall consist of Training for 100 Hours in the manner and areas specified by the Council under a Competition Law practitioner, Legal Department of Large Companies particularly Multi National Companies or Practising Company Secretaries firms engaged in Competition Law practice, as may be approved by the Coursel form time to time. may be approved by the Council from time to time.

[PART III-SEC. 4]

(2) The Candidates for Part I examination shall be examined in four subjects consisting of the following papers, namely:-

Paper I	<b>Concept and Economics of Competition</b>	(100 marks)
Paper II	Anti-competitive Agreements and Abuse of Dominance	(100 marks)
Paper III	<b>Regulation of Combinations</b>	(100 marks)
Paper IV	<b>Competition Compliance Programme</b>	( 50 marks)
Paper V	Case Study	( 50 marks)

(3) The syllabus for the Part I of Competition Law Course shall be as provided in Schedule F.

(4) Constant A candidate successfully completing the Competition Law Course shall be awarded a Diploma Certificate to that effect in the appropriate form by the Institute and shall be entitled to use the descriptive letters and bracket "DCL (ICSI)" to indicate that he has been awarded "Post Membership Diploma in Competition Law" by the Institute of Company Secretaries of India.

#### Course D: Corporate Restructuring and Insolvency

- (1) The Corporate Restructuring and Insolvency shall comprise of following two modules namely -
  - (a) Module A of the Course shall consist of four papers of 100 marks, and
  - (a) Module B of the Course shall consist of four papers of foor marks, and
     (b) Module B of the Course shall consist of Compulsory Workshop of one day organised in the manner specified by the Council before the written examination in June or December wherein the candidates shall be required to make presentation on case studies assigned in advance and interact with experts and clarify their doubts about the study during the workshop.
- (2) The Candidates for 'Module A' examination shall be examined in four papers consisting of the following papers, namely:-

Paper 1	Corporate Restructuring, Rescue and Insolvency	100 marks
Paper 2	Strategic Options for Corporate Restructuring	100 marks
Paper 3	Cross Border Insolvency Practice and Procedure	100 marks
Paper 4	Professional and Ethical Practices for Insolvency Practitioners	100 marks

- (3) The syllabus for the Module A of Corporate Restructuring and Insolvency shall be as provided in Schedule G.
  - A candidate successfully completing the Corporate Restructuring and Insolvency shall be awarded a Diploma Certificate to that effect in the appropriate form by the Institute and shall be entitled to use the descriptive letters and bracket "DCRI (ICSI)" to indicate that he has been awarded "Post Membership Diploma in Corporate Restructuring and Insolvency" by the Institute of Company Secretaries of India;"
- 15.

16.

17.

(4)

H

In regulation 55N of said regulations, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the Council may provide for any other training, workshop or completion of any other requirement in part II of the Post Membership Qualification Courses in addition or in lieu of Dissertation or project report as specified in subregulation (1)".

After regulation 149 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

"149A (1) Before the beginning of the next financial year, the Secretary shall cause the annual financial statement (the Budget) prepared including therein all anticipated income and expenditure for the financial year and place the same before the Council for approval.

(2) The Secretary shall take into consideration the requirements of the Regional Council and Chapters while preparing the annual financial statement (the Budget).

(3) The Council shall consider the annual financial statement (the Budget) placed before it and shall approve the same with or without modification before the commencement of the next financial year".

For regulation 151 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

(1) "151(1) The annual accounts of the Institute shall be audited by a Chartered Accountant or the firm or Chartered Accountants.

' (2) The Council shall, not less than two months before thirtieth September of each year deliver to the auditor the accounts of the previous year and the auditor examine such accounts and report thereon, not later than one month before thirtieth September of that year.

The auditor shall be entitled to ask for any information or explanation regarding (3) the accounts from the Secretary and such information and explanation shall be supplied to him in so far as may be available at that time."

After regulation 155 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, 18. namely:-

"155A (1) In the event it is brought to the notice of the Council that the accounts of the Institute do not represent a true and actual view of the Institute's finances, the Council shall itself cause special audit to be conducted.

(2) If the information that the accounts of the Council do not represent a true and fair view of its finances is sent to the Council by the Central Government, then, the Council may, wherever appropriate cause a special audit or take such action as it considers necessary and shall furnish an Action Taken Report on it to the Central Government".

19. After regulation 157of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

"157A The employees of the Council and the Institute shall be governed by the Institute of Company Secretaries of India Employees terms and Conditions of Service specified in Schedule F

20. In the said regulations, after SCHEDULE E, the following Schedules shall be inserted, namely:-

**"SCHEDULE F** 

the Institute of Company Secretaries of India Service Rules, 1979 as amended by the Council from time to time".

SCHEDULE G

Syllabus for Part 1 Post Membership Diploma in Competition Law

1. Overall objective and scope:

Capacity building of Company Secretaries in the area of legal, procedural and practical 2 aspects of Competition Law and matters related thereto.

The objectives of the Post Membership Qualification Course in Competition Law are that the members who complete the Post Membership Qualification Course in Competition Law should

Appreciate various concepts of competition, economics of Competition including economic theories and policies that influence the aspects of Competition in the market . and operation of Competition Law.

Gain acumen, insight and thorough knowledge of law governing competition in India, and major overseas jurisdictions.

Understand and appreciate the interface between Competition Commission of India and Sectoral Regulators.

Understand the Competition Law in practice and in particular procedures involved in various aspects of administration of competition law in India including dealing with Competition Commission of India and Competition Appellate Tribunal.

Understand and appreciate the importance and structure of Competition Compliance Programme; its effective implementation, monitoring and evaluation.

Be able to apply the knowledge of Competition Law in commercial context.

4. The papers I to IV shall be of three hours duration and shall carry 100 marks each.

5. The medium of writing the examination shall be in English:

Provided that it shall be competent to the Council to permit the use of Hindi as a medium of writing any particular papers.



## SYLLABUS FOR PMQ COURSE IN COMPETITION LAW

# Part I-Papers (I, II, III and IV)

# PAPER:I CONCEPTS AND ECONOMICS OF COMPETITION LAW

(100 MARKS)

- 1. Definition, nature, rationale and objective of Competition and Competition Law; relation between Competition Law and Policy
  - Theory of Competition : Perfect Competition : Benefits of perfect Competition Allocative Efficiency; Productive Efficiency; Dynamic Efficiency; Harmful Effect of Monopoly;
  - Economics of Scale and Natural Monopolies : Network effects; Two sided markets; Network Effect and Competition Policy; Particular Sectors; Beneficial restriction of Competition; Ethical issues;
- 4. Market Definition and Market Power : Market definition; Relevant Product Market; Relevant Geographic Market; Market Power, Market Share and Market Concentration;
- 5. Development of Competition Law in India: History of Competition Law in India including constitutional provisions and reports of relevant Committees;
- 6. Institutional Framework under Competition Act, 2002 : Competition Commission of India {CCI}; Duties, Powers and Functions of Competition Commission; Competition Appellate Tribunal; Powers of Appellate Tribunal; Right to Legal Representation; Appeal to Supreme Court; Powers of Central Government; Extra Territoriality and Effect Doctrine;
- 7. Interface between Competition Commission with Sectoral Regulators: Competition as underlying principle for regulation; Competition Authority and Sectoral Regulator in select jurisdictions; Regulatory framework under Competition Act and laws governing sectoral regulators;
- 8. History of Competition Law and Competition Law in select countries US, UK, European Union.

PAPER II ANTI-COMPETITIVE AGREEMENTS AND ABUSE OF DOMINANCE (100 MARKS)

# Anti-Competitive Agreements

- Definition of agreement; Agreements and Scope thereof; Prohibition on Anti-Competitive Agreements; Per se and Rule of Reason.
- Types of anti-competitive Agreements : Horizontal Agreements including cartels, Presumption in case of certain Horizontal agreements
- Vertical Agreements
- Procedure for Inquiry by Competition Commission of India
- Exceptions- Joint Ventures; Intellectual Property Rights; Export Exemption
- Orders By Competition Commission and Penalties for Contravention
- Leniency Programme for Cartels

#### Abuse of Dominant Position

- Definition and determination of Dominance
  - Abuse of dominance- exclusionary abuses and exploitative abuses;
- Procedure for Inquiry by Competition Commission of India into Abuse of Dominant Position
  Remedies against abuse of dominant position

#### PAPER III REGULATION OF COMBINATIONS

(100 MARKS)

- Definition of Combinations; types of combinations including mergers, acquisitions, amalgamations, acquisition of control
- Jurisdiction of Competition Commission of India
- Jurisdictional Test Turnover, Asset, domestic nexus, exemptions
- Notification of Combinations
- Procedure for Inquiry into Combinations
- Test of Appreciable Adverse Effect
- Remedies and Orders in case of Combinations

PAPER IV COMPETITION COMPLIANCE PROGRAMME (50 MARKS)

- **Objectives** and advantages of Competition Compliance Programme
- Components of Competition Compliance Programme for Enterprises
- Compliance Programme for trade associations

2.

3.

[भाग 111-खण्ड 4]

General Guidelines for Devising a Compliance Programme

Competition Compliance Programmes in UK, USA and European Union Implementation of Compliance Programme – Training, Monitoring and Evaluation.

# CASE STUDY (50 MARKS)1

Anti-Competitive agreements

- Ahlstrom Osakeyhtio v. Commission (Wood Pulp) [1993] ECR I-1307, ECJ 1.
- European Commission v. Volkswagen, Case C-74/04 P 2.
- 3. Consten and Grundig v. Commission [1966] ECR 299, ECJ 4.
- 5.
- Bayer AG v. Commission [2000] ECR II-3383, [2001] 4 CMLR 126 Stergios Delimitis v. Henninger Brau AG [1991] ECR I-935, ECJ Federal Trade Commission v. Indiana Federation of Dentists, 476 U.S. 447 (1986) 6.
- Leegin Creative Leather Products Inc. v. PSKS Inc. 551 U.S. 877 (2007) 7.
- 8.
- 9.
- GTE Sylvania Inc. v. Continental TV Inc. 433 U.S. 36 (1977) E.I. duPont de Nemours Co. v. FTC 729 F.2d 128 (2d Cir. 1984) Tata Engineering and Locomotive Co. Ltd., Bombay Vs. The Registrar of the Restrictive Trade Agreement, New Delhi, AIR 1977 SC 973 10.
- Director General (I & R) v. Universal Cylinders Ltd. RTP enquiry 11.

Abuse of Dominance

- Hoffmann-la Roche and Co. AG v. Commission, Case 85/76, [1979] ECR 461, ECJ; [1979] 3 12. C.M.L.R. 211.
- Europemballage Corp. v. Commission (Continental Can), Case 6/72, [1973] ECR 215. United Brands Co. v. Commission, Case 27/76, [1978] ECR 207, ECJ. Istituto Chemioterapico Italiano SPA v. Commission (Commercial Solvents), Cases 6, 13.
- 14.
- 15.
- 7/73, [1974] ECR 223, ECJ. Radio Telefis Eireann v. Commission (Magill), Cases C-241/91P & C-242/91P, [1995] ECR 16. I-743, ECJ.
- 17.
- Microsoft Corp. v. Commission, Case T-201/04, [2007] ECR II-1491, CFI. Tetra Pak International SA v. Commission (Tetra Pak II), Case C-333/94P, [1996] ECR I-18. 5951, [1997] 4 CMLR 662.
- France Telecom SA v. Commission (Wanadoo), Case T-340/03, [2007] ECR II-00107, CFI. 19. Intel Corporation v. Commission, CaseCOMP/C-3/37.990 - Intel. 20.
- Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, 540 U.S. 398 (2004). 21.
- Northern Pacific Railway Co. v. United States, 356 U.S. 1 (1958) 22.

Combinations

- 23.
- Boeing / McDonnell Douglas (Case No IV/M.877- 97/816/EC) Airtours v. Commission, Case T-342/99, [2002] ECR II-2585, CFI. 24.

Bertelsmann AG v. Commission (Impala) Case C-413/06 P, [2008]ECR I-4951 (10thJuly 25. 2008), ECJ.

- Tetra Laval BV v. Commission, Cases C-12/03 and C-13/03 P, [2005] ECR I-1113, ECJ. 26.
- General Electric v. Commission, Case T-210/01, [2005] ECR II-5575, CFI. Federal Trade Commission v. Staples, Inc Civil No. 97-701 (TFH) 27.
- 28.
- Hindustan Lever Employees' Union Vs. Hindustan Lever Limited AIR 1995 SC 470 29.
- PART II

2.

100 Hours Training in the manner and areas specified by the Council from time to time."

#### SCHEDULE H

Syllabus for Post Membership Course in Corporate Restructuring and Insolvency

1. Overall objective and scope:

> Capacity building of Professionals in the area of legal, practical and application oriented aspects of corporate restructuring, rescue and insolvency and matters related thereto.

To enable the candidates to gain acumen, insight and thorough knowledge relating to

various aspects of corporate restructuring rescue and insolvency. To provide thorough knowledge of the legal and regulatory framework dealing with corporate rescue and insolvency with help of case studies.

To provide expert knowledge and skill sets in management and administration of restructuring process with the help of case studies.

To provide thorough insight into legal, procedural and applied aspects of corporate rescue with reference to international best practices.

To provide knowledge of global trends and practices so as to have an integrated view of the entire framework for corporate restructuring and insolvency.

The List is illustrative

2004 62/12-4

# THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

To equip the candidates with the technical, analytical and application oriented skills in corporate restructuring and insolvency.

To provide professional skills to anticipate and provide practical solutions to legal and

technical issues involved in restructuring, rescue and insolvency process. To enable candidates to understand and fully appreciate the responsibilities and accountability as insolvency practitioner.

To set standards of ethics and best practices.

3. The Papers I to IV shall be of three hours duration and shall carry 100 marks each.

4. The medium of writing the examination shall be in English:

Provided that it shall be competent to the Council to permit the use of Hindi as a medium of writing any particular paper.

Syllabus for Post Membership Course in Corporate Restructuring and Insolvency

# Module A - Papers (I, II, III and IV)

14

## Paper 1 Corporate Restructuring, Rescue and Insolvency

(100 marks)

• The concept of Corporate Restructuring, Rescue and Insolvency : Concept of Insolvency, historical developments, basic concepts and definitions

Origin of law relating to Corporate Insolvency: History of Bankruptcy Laws in USA, UK and India, Companies Act, 1956, Sick Industrial Companies(Special Provisions) Act, 1985, Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 Companies Bill, 2009 and any other law.

Revival, Rehabilitation and Restructuring of Sick Companies : Sick companies and their revival with special reference to the law and procedure relating to sick companies.

- Securitisation and Debt Recovery : Overview of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002; process; participants; Special Purpose Vehicle (SPV), Asset Reconstruction Companies (ARCs), Qualified Institutional Buyers (QIB).
- Debt Recovery Act: Overview of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993; Tribunal, Procedure; compromise and arrangements with banks and creditors.

Winding up : Concept; modes of winding up; administrative machinery for winding up. Winding up process and procedure; managing stakeholders and parties in liquidation; conducting meetings of shareholders/creditors etc.; dealing with contracts; managing estate; Consequences of winding up; winding up of unregistered companies; dissolution.

Paper 2

# Strategic Options for Corporate Restructuring

(100 marks)

Changing World and its effect on Restructuring : Globalisation; Dominance of Services economy; technological and communication advancement; Expansion of Financing opportunities and Financial Innovations; Expanding role of professionals

Corporate Restructuring in Challenging Times : Financial Mis-governance; Liquidity Crunch, Sub Prime Crises; Global Recession; Solutions for Business Failures.

Concepts and Strategies : Meaning of corporate restructuring, need, scope and modes of restructuring, historical background, global scenario, national scenario.

Planning, formulation and execution of various corporate restructuring strategies - mergers, acquisitions, takeovers, disinvestments and strategic alliances, demergers and hiving off.

Mergers and Amalgamations : Concept; legal, procedural, economic, accounting, taxation and financial aspects of mergers and amalgamations including stamp duty and allied matters; interest of small investors; merger aspects under competition law; jurisdiction of courts; filing of various forms; Amalgamation of banking companies and procedure related to Government companies; Cross border mergers.

Takeovers : Meaning and concept; types of takeovers; legal aspects - SEBI takeover regulations; procedural, economic, financial, accounting and taxation aspects; stamp duty and allied matters; payment of consideration; bail out takeovers and takeover of sick units; takeover defences; cross border takeovers.

Corporate Demergers and Reverse Mergers : Concept of demerger; modes of demerger - by agreement, under scheme of arrangement; demerger and voluntary winding up; legal and procedural aspects; tax aspects and reliefs; reverse mergers – procedural aspects and tax implications.

Out of Court Restructuring : Corporate Debt Restructuring Mechanism (CDRM), RBI Guidelines for CDRM and other procedural aspects.

Role and Responsibilities of Directors : General fiduciary duties, actions potentially giving rise to liability for directors, Role of Board of Directors under SICA, Companies Act, 1956, Insolvency related liabilities of directors, misconduct in winding up etc., criminal and civil liability of directors.

Funding of Mergers and Takeovers : Financial alternatives; merits and demerits; funding through various types of financial instruments including equity and preference shares, options and securities with differential rights, swaps, stock options; External Commercial Borrowings, funding through financial institutions and banks; rehabilitation finance; management buyouts/leveraged buyouts.

Financial Restructuring: Reduction of capital; reorganisation of share capital, Buy-back of shares – concept and necessity; procedure for buy-back of shares by listed and unlisted companies.

Valuation of Shares and Business : Introduction; need and purpose; factors influencing valuation; methods of valuation of shares; corporate and business valuation.

Post Merger Re-organisation : Factors in post merger reorganization: integration of businesses and operations, financial accounting, taxation, post merger valuation, human and cultural aspects; assessing accomplishment of post merger objectives; measuring post merger efficiency.

Governance Aspects of Restructuring and Insolvency : Domestic and International trends relating to governance practices pertaining to Corporate Restructuring and Insolvency. Shareholder democracy in restructuring process, role of investors, creditors, role of non-executive directors in restructuring process, regulatory compliances including compliances under the Companies, Act, 1956, Securities Exchange Board of India Regulations, Listing Agreement etc. Case studies on governance failures and restructuring. Practical cases in Corporate Restructuring, approaches to prevent liquidation and insolvency;

Paper 3 Cross Border Insolvency Practice and Procedure

(100 Marks)

Cross Border Insolvency; United Nations Commission On International Trade Model Law on Cross Border Insolvency; United Nations Commission On International Trade Legislative Guide to Insolvency Law; World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor, Rights System; Asian Development Bank Principles of Corporate Rescue and Rehabilitation.

Paper 4 Professional and ethical practices for Insolvency Practitioners

(100 Marks) Responsibility and Accountability of Insolvency Practitioners : Functions of Insolvency Practitioners; Duties of Insolvency Practitioners; Permissible or not permissible activities, Professional accountability with respect to mandatory requirements and recommendatory requirements, obligation as fiduciaries, responsibility over properties, fair assessment of competing interest of the stakeholders, statutory or investigatory or reporting obligations, independence, integrity and objectivity in business decisions etc.; Code of Conduct and Ethics.

#### Module B

Compulsory one day Workshop for candidates in the manner and areas as approved by the Council from time to time."

By Order of the Council

N. K. JAIN, Secy. & CEO

[ADVT III/4/121/12/Exty.]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India vide notification ICSI No.710/2 (1) dated the 16<sup>th</sup> September, 1982 and subsequently amended vide :

	i)	Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 30.03.1984	
	ii)	Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 03.05.1984	
	iii)	Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 30.12.1985	
	iv)	Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 09.09.1986	
	V)	Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 23.02.1987	
	vi)	Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 09.03.1987	
	vii)	Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 22.08.1988	
	viii)	Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 23.08.1988	
	ix)	Notification No. ICSI/710/2/M(18) dated 20.08.1993 and 24.11.1993	
	X)	Notification No. 710/1/M/(17) dated 21.02.1995	
	xi)	Notification No. ICSI/710/2/M(20) dated 28.11.1996	
	xii)	Notification No. ICSI/710/2/M(26) dated 10.08.2001	
	xiii)	Notification No.710/1/(M)/1 dated 03-05-2006	
	xiv)	Notification No.710/1/(M)/1 dated 26-06-2006	
	XV)	Notification No. 710/1(M)/1 dated 23-07-2010	
-	and the second second		

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 15